

धार्मिक भेदभाव एवं हिंसक होती राजनीति एक अध्ययन

डॉ० नीलम गौड़, प्राचार्य,, व्यापार मण्डल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हनुमानगढ़ ।

परिचयात्मक शोध का परिचय

प्लासी के युद्ध के बाद और 1857 के महा विद्रोह के बीच एक शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के साथ-साथ विद्रोह और उपद्रव भी होते रहे । जब किसी इलाके को अंग्रेजी अमलदारी में मिला लिया जाता था, तो वहां तुरंत प्रतिरोध और विद्रोह का सिलसिला चल पड़ता था, जिस में जमींदार और किसानों में संघर्ष होते थे और जिसमें जमींदारों के निकाले हुए सिपाही व कारिंदों तथा धर्म पुरोहितों का वर्ग भी शामिल होता था। ये उपद्रव कम्पनी के नए मिलाए हुए इलाकों में ही नहीं होते थे, कम्पनी की सेनाओं के सिपाही भी समय-समय पर अपने प्रति दुर्व्यवहार के कारण विद्रोह कर बैठते थे। इस प्रकार एक तरफ तो भारत में नई व्यवस्था का विस्तार हो रहा था और समाज में एक नया वर्ग पैदा हो रहा था और दूसरी तरफ प्राचीन व्यवस्था के विभिन्न वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए साहसिक प्रयास कर रहे थे ।

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के लिए ब्रिटिश राज ने प्रमुख रूप से मुसलमानों को जिम्मेदार माना और सरकार ने मुसलमानों के प्रति विशेष शोषण की नीति अपनाई। जिन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था, वहाँ के मुसलमानों की जमीन जायदाद छीन ली गई जिस से उन के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। मुस्लिम युवकों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद हो गए, जिस से उन का भविष्य अंधकारमय हो गया। अब भारतीय मुसलमान दूसरे समुदायों की अपेक्षा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से पिछड़ते चले गए। मुस्लिम समाज अंधकार में था। जबकि नई शिक्षा, विज्ञान और वैज्ञानिक उन्नति का लाभ उठाकर हिन्दुओं ने अपनी स्थिति में सुधार कर लिया था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए थे। मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए 1863 में कलकत्ता के नवाब अब्दुल लतीफ खान ने **मोहम्मडन लिटरेरी सोसायटी** की स्थापना कर दी, जिस का कार्य पूर्ण रूप से शैक्षणिक ही नहीं था बल्कि मुसलमानों में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक जागृति पैदा करना था ।

प्रस्तावित शोध के सोपान

भारत जैसे देश में जहां जाति भेद भाव अपनी चरम सीमा पर हो, दूसरी जातियों के लिए कोई मेल नहीं हो, जहाँ धार्मिक भेद-भाव अभी भी हिंसक हो, जहाँ शिक्षा आधुनिक रूप में समान नहीं हो या सभी जातियों की तरक्की समान नहीं हो, मुझे विश्वास है कि शुद्ध और साधारण निर्वाचन के सिद्धांत की पहचान, विभिन्न रुचियों के प्रतिनिधित्व के लिए स्थानीय मण्डल और जिला परिषदों के लिए बुराई के महत्त्व के साथ, शुद्ध आर्थिक प्रतिफल की अपेक्षा लम्बे समय से जाति और पंथ में भेद के कारण, भारत के सामाजिक, राजनीतिक जीवन में जाति भेद एक आवश्यक तत्त्व हैं। यह यहाँ के निवासियों, प्रशासन से संबंधित तथा देश के कल्याण को प्रभावित करता है। इसलिए यहाँ पर बड़े लम्बे स्तर पर चुनाव प्रणाली को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस में बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय की रुचियों को पूर्णतः कुचल देगा और नासमझ जनता सरकार पर अपनी पकड़ बना लेगी जो कि जाति, धर्म में भेदभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगी और यह सदा के लिए हिंसक हो जाएगी।”

अपने साथियों के साथ मिलकर सैयद अहमद ने 1883 में '**मोहम्मडन पालिटिकल एसोसिएशन**' की स्थापना की।

परिचयात्मक शोध का उद्देश्य

1. ब्रिटिश राज की भलाई के साथ-साथ मुसलमानों की संसारिक उन्नति और वृद्धि के लिए प्रयत्न करना तथा इस कार्य की प्रगति के लिए साधन जुटाना ।
2. विभिन्न विधि प्रस्तावों पर जो व्यवस्थापिका में भारतीयों की भलाई के लिए पेश किए जाते हैं, पर विचार करना तथा आवश्यकतानुसार उनको सरकार के समक्ष अत्यन्त आज्ञाकारिता के साथ व्यक्त करना ।
3. मुसलमानों की आवश्यकताओं और अधिकारों को देश की भलाई और उन्नति की योजनाओं को अत्यन्त विनित रूप से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना ।
4. ऐसे कार्यों के विषय में सरकार को सूचना देना जो कि देश की उन्नति में बाधक हो ।

प्रस्तावित शोध का महत्व

भारतीयों के राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए 1885 में **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** की स्थापना हुई। इस की स्थापना के कुछ समय बाद सैयद अहमद खाँ व कुछ अन्य मुस्लिम नेताओं ने इस का विरोध करना शुरू कर दिया। सर सैयद अहमद खाँ ने अपने समुदाय को कांग्रेस के कार्यक्रमों व गतिविधियों से दूर रहने को कहा तथा 1886 में **मुस्लिम एजुकेशनल कान्फ्रेंस** की स्थापना की थी तथा जिस का अधिवेशन विभिन्न शहरों में उसी समय होता था, जब कांग्रेस का अधिवेशन चलता था। यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य सारे देश में मुसलमानों को संगठित करना था, इस से मुस्लिम समाज में एकता की भावना उत्पन्न हुई और उन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि हम मुसलमान हैं।

सैयद अहमद ने 28 दिसम्बर 1887 को लखनऊ में एजुकेशनल कान्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया, इस सभा में उत्तरी भारत के लोग एकत्रित थे, जिस में बुद्धिजीवी, नौकरशाही और मुस्लिम समुदाय के लोग थे। सैयद अहमद ने इस कान्फ्रेंस के सामने एक नीति प्रस्तुत की कि मुसलमानों को चाहिए कि वे इस समय राजनीतिक आन्दोलन को अपनाएं। उसने राजनीतिक आन्दोलन को पेश करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य कांग्रेस से अपने बचाव व सरकार की उन नितियों से

अपना बचाव करना होगा जो कि वित्त पर नियंत्रण करती है, सेना, विदेशी व्यापार और कानून के प्रत्येक पहलू को देश के अंदर लागू करती थी। साथ ही वायसराय की लेजिस्लेटिव समिति के आंतरिक मामलों पर भी पकड़ करनी थी, जो कि उच्च सामाजिक स्थिति के लोगों से बनी है न कि योग्यता के आधार पर बनी है।

निष्कर्ष

1898 में सर सैयद अहमद खां की मृत्यु के बाद कुछ पढ़े लिखे मुसलमान कांग्रेस के समान एक राजनैतिक संस्था के बारे में सोचने लगे, जो कि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा कर सके। परन्तु इस विचार को 1903 तक कार्यरूप नहीं दिया जा सका। जुलाई 1903 में नवाब बकार-उल-मुल्क ने मियां मुहम्मद शफी व दूसरे कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर लखनऊ में 'मुस्लिम राजनैतिक एसोसिएशन' की संस्था की स्थापना की।

1 अक्टूबर, 1906 को मुस्लिम शिष्टमंडल वायसराय से शिमला में मिला जिसमें 35 सदस्य थे। सब से ज्यादा 11 सदस्य संयुक्त प्रांत से, 2 पंजाब और पूर्वी बंगाल से, और 9 सदस्य असम से थे, इस में ज्यादातर भू स्वामी थे। यह पहला अवसर था, जब भारतीय मुसलमानों ने एक अलग समुदाय के रूप में कार्य किया था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ए. जाईदी, जेड. एच. (सम्पा) एम ए जिन्हा इसफानी कोर्सपोंडंस 1936-48, कराची, 1976.
2. अहमद, जमीलूद्दीन (सम्पा), स्पीचिज एंड राईटिंग्स ऑफ मि. जिन्हा, लाहौर, 1960.
3. अहमद, जमील-उद-दीन (सम्पा.) हिस्टोरिक डाकूमेंट ऑफ द मुस्लिम फ्रिडम मुवमेंट, लाहौर, 1970.
4. अजीज, के. के. (सम्पा.) प्रील्यूड टू पाकिस्तान 1930-40 डाकूमेंट एंड रिडिंग्स इलिसट्रेटिंग ग्रोथ ऑफ द आईडिया ऑफ पाकिस्तान, लाहौर, 1992.
5. सैन्सॉस ऑफ इंडिया, 1911, 1921, 1931, 1941.
6. सेंट्रल लैजिस्लेटिव असैम्बली डिबेट्स, 1936.
7. हुसैन, मसिकल (सम्पा.), मोहम्मद अली इन इंडियन पालिटिक्स : सलैक्टिव राईटिंग्स 3 वोल्स, न्यू दिल्ली, 1983.

